

पत्रांक-450/14-1, (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 5 - सितम्बर 2017

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
सम्भल

विषय :- जनपद सम्भल में मेरठ-बदायूं मार्ग के 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (राज्य मार्ग सं०-18) किमी० 142.600 से 162.000 तक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/52/2017/एफ0सी0/74 दिनांक-
14 अगस्त 2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है। उक्त सन्दर्भित पत्र में आपत्ति संख्या 01 से 05 तक तथा आपत्ति संख्या 07 का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है, आप अपने विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन पूर्ण कर अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे आपत्तियों का निस्तारण कर आख्या/अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित किये जा सकें।

लक्षणम्:- ध्वनिपरि।

भवदीय,

(एम० पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

for P.H.O. Sambhal

~~Skunk~~
7/10/9 17

संख्या-५५० / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र संख्या-473/बदायूं/23576/2017 दिनांक-18.08.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम० पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।